बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी

पत्रांक 206922 पटना, दिनांक 28/10/14

ग्रा0वि09(थ0)EPF-84/2010

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,

सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बांका, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, शिवहर, सिवान, सारण, सीतामढ़ी एवं मधेपुरा ।

विषय:- मनरेगा अन्तर्गत पंचायत रोजगार सेवक / पंचायत तकनीकी सहायक का ई0पी0एफ0 खाता खोले जाने एवं कटौती की गयी राशि जमा करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 173317 दिनांक 06.01.2014 एवं पत्रांक 176830 दिनांक 10.02.2014 का कृपया स्मरण करना चाहेंगे ।

उक्त विभागीय पत्र के द्वारा मनरेगा अन्तर्गत कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक / पंचायत तकनीकी सहायक का ई0पी0एफ0 खाता खोलकर उनके ई0पी0एफ0 की कटौती की गयी राशि को जमा करने का निदेश दिया गया था । माह नवम्बर, 2013 में विभाग के तरफ से एवं क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सहयोग से मनरेगा अन्तर्गत कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक / पंचायत तकनीकी सहायक का ई0पी0एफ0 खाता खोले जाने संबंधी प्रशिक्षण सभी जिलों के डी0आर0डी0ए0 कर्मी को दिया गया था ।

परंतु खेद के साथ कहना है कि ई0पी0एफ0 इंडिया के वेवसाईट www.epfindia.com से प्राप्त रिपोर्ट एवं विभाग की तरफ से दूरभाष पर की जा रही मॉनिटरिंग के आधार पर यह देखा जा रहा है कि आपके जिले से संबंधित डी0आर0डी0ए0 कर्मियों का प्रत्येक माह का ऑनलाईन इ0सी0आर0 जेनरेट किया जा रहा है एवं संबंधित राशि को ई0पी0एफ0 खाता में जमा किया जा रहा है। परन्तु मनरेगा अन्तर्गत कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक/ पंचायत तकनीकी सहायक का ऑनलाईन ई0सी0आर0 जेनरेट नहीं किया जा रहा है जो कि अत्यंत हीं खेदजनक है। ।

अत: पुन: स्मरण कराते हुए अनुरोध है कि मनरेगा अन्तर्गत कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक / पंचायत तकनीकी सहायक का भी ई0पी0एफ0 खाता खुलवाते हुए इ0सी0आर0 जेनरेट करके दिनांक-15.11.2014 तक राशि उनके ई0पी0एफ0 खाता में जमा करवाया जाये एवं इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध करायी जाए ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)

सचिव 28.10.14

ज्ञापांक 206922 पटना/दिनांक 28/10/14

ग्रा0वि09(थ0)EPF-84/2010

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिककारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक बांका, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, शिवहर, सिवान, सारण, सीतामढ़ी एवं मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव 28.10.14